सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 776 राँची, बुधवार, 6 अश्विन, 1938 (श०)
28 सितम्बर, 2016 (ई०)

योजना-सह-वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

संकल्प

26 सितम्बर, 2016

विषय: **झारखंड राज्य के संवर्ग में आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के सभी पदाधिकारियों के लिए केन्द्रीय सप्तम वेतन पुनरीक्षण के क्रम में दिनांक 1 जनवरी, 2016 के प्रभाव से सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के संबंध में ।**

संख्या: 11/07 (वे०आ०)-01/2016/2843/वि०-- केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों के लिए संकल्प संख्या 1-2/2016/आई॰सी॰सं॰ 246 दिनांक 25 जुलाई, 2016 द्वारा सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षण आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित सप्तम केन्द्रीय वेतनमान लागू किया गया है ।

2. उक्त के क्रम में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्रांक 14021/1/2016-AIS.II दिनांक 27 जुलाई, 2016 द्वारा अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों हेतु सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसाओं के संबंध में राज्य सरकार के मंतव्य की अपेक्षा की गयी है ।

3. राज्य सरकार अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय सेवाशर्तों के साथ केन्द्रीय वेतनमान, भत्ता एवं अन्य सुविधायें यथा चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता, ग्रुप बीमा, आवासीय किराया भत्ता इत्यादि और सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवान्त लाभों को केन्द्र के अनुरूप स्वीकृत करने के लिए सैद्धान्तिक रूप से सहमत है । योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के संलेख ज्ञापांक 2463/वि॰ दिनांक 23 अगस्त, 2016 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 23 अगस्त, 2016 की बैठक के मद सं॰ 19 में राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों की भाँति दिनांक 1 जनवरी, 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित सप्तम केन्द्रीय वेतनमान की स्वीकृति हेतु फिटमेंट कमिटी के गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसे वित्त प्रभाग के संकल्प संख्या 2530/वि॰ दिनांक 31 अगस्त, 2016 द्वारा अधिसूचित किया गया है ।

4. केन्द्र सरकार के द्वारा सातवें वेतन पुनरीक्षण के संबंध में लागू संदर्भित आदेश राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं के सभी संवर्ग के लिए प्रभावी होंगे ।

5. अतः सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार को झारखंड राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए दिनांक 1 जनवरी, 2016 से लागू होने वाले सातवें वेतन पुनरीक्षण के लिए यथा अधिसूचना संख्या 246 दिनांक 25 जुलाई, 2016 के द्वारा प्रभावी वेतनमानों के संबंध में सहमति संसूचित करने का निर्णय लिया गया है ।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2696/वि॰ दिनांक 14 सितम्बर, 2016 के क्रम में दिनांक 19 सितम्बर, 2016 की बैठक के मद सं॰ 19 में दी गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमित खरे,

अपर मुख्य सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 776 –50 ।